संख्या-367/2026/1047/22-2-2025-17(948)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 06 अप्रैल, 2026

विषयः- जिला कारागार, मैनपुरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आरिफ पुत्र श्री अनवार, निवासी जनपद-मैनपुरी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-19707/प्रो0अनु(7)/07/2025(बैठक दिनांक 20.03.2025) दिनांक-08.05.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मैनपुरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आरिफ पुत्र श्री अनवार, मोहल्ला-पुरोहिताना, थाना-कोतवाली, जनपद-मैनपुरी का निवासी है। दिनांक 27.03.2018 को दहेज में 01 लाख नकद व मोटर साइकिल न देने के कारण बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर अपनी पत्नी को मार पीटकर व गला दबाकर हत्या की घटना कारित की, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-148/2018 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी व 4डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, कोर्ट नं0-1, मैनपुरी के आदेश दिनांक 07.12.2023 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक-27.01.2024 तक 05 वर्ष 10 माह की अपरिहार तथा 05 वर्ष, 10 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004 -25 (94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल०जे0 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध कर सकने, बन्दी का नवयुवक होने के कारण अपराधिक कृत्यों में पुनः लिप्त होने, बंदी की सामाजिक व आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स-बी में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट दिनांक 08.01.2025 द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 27.03.2018 को दहेज में 01 लाख नकद व मोटर साइकिल न देने के कारण बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर अपनी पत्नी को मार पीटकर व गला दबाकर हत्या की घटना कारित की। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी आरिफ पुत्र श्री अनवार को फार्म-ए/ लाईसेंस के के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नही की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है जिला कारागार, मैनपुरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आरिफ (बन्दी संख्या-285/23) पुत्र श्री अनवार, निवासी जनपद-मैनपुरी के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-367/2026/1047(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, मैनपुरी।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-367/2026/1047/22-2-2025-17(948)/2025

दिनांक 06 अप्रैल, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, मैनपुरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी आरिफ पुत्र श्री अनवार, मोहल्ला-पुरोहिताना, थाना-कोतवाली, जनपद-मैनपुरी का निवासी है। दिनांक 27.03.2018 को दहेज में 01 लाख नकद व मोटर साइकिल न देने के कारण बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर अपनी पत्नी को मार पीटकर व गला दबाकर हत्या की घटना कारित की, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-148/2018 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी व 4डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, कोर्ट नं0-1, मैनपुरी के आदेश दिनांक 07.12.2023 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है, बंदी द्वारा दिनांक-27.01.2024 तक 05 वर्ष 10 माह की अपरिहार तथा 05 वर्ष, 10 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004 -25 (94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल०जे0 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध कर सकने, बन्दी का नवयुवक होने के कारण अपराधिक कृत्यों में पुनः लिप्त होने, बंदी की सामाजिक व आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स-बी में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट दिनांक 08.01.2025 द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 27.03.2018 को दहेज में 01 लाख नकद व मोटर साइकिल न देने के कारण बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर अपनी पत्नी को मार पीटकर व गला दबाकर हत्या की घटना कारित की। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी आरिफ पुत्र श्री अनवार को फार्म-ए/ लाईसेंस के के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नही की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in